सत्यमेव जयते

THE
JHARKHAND GAZETTE
EXTRAORDINARY
PUBLISHED BY AUTHORITY

4 Aasadh, 1942 (S)

No. 300

Ranchi, Thursday, 25th June, 2020

COMMERCIAL TAXES DEPARTMENT

Notification No. 32/2020 – State Tax

S.O. No. 48, Dated- 25th June, 2020 :- In exercise of the powers conferred by section 128 of the Jharkhand Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), read with section 148 of the said Act, the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of Jharkhand in the Commercial Taxes Department, No. 76/2018–State Tax, dated the 24th January, 2019 published in the Gazette of Jharkhand, vide S.O. No. 18, dated the 24th January, 2019 namely:–

In the said notification, after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely: –

“Provided also that the amount of late fee payable under section 47 shall stand waived for the tax period as specified in column (3) of the Table given below, for the class of registered persons mentioned in the corresponding entry in column (2) of the said Table, who fail to furnish the returns in **FORM GSTR-3B** by the due date, but furnishes the said return accordingto the condition mentioned in the corresponding entry in column (4) of the said Table, namely:--.

Table

S. No. (1)	Class of registered persons (2)	Tax period (3)	Condition (4)
1.	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 5 crores in the preceding financial year	February, 2020, March, 2020 and April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the 24th day of June, 2020
2	Taxpayers having an aggregate turnover of more than rupees 1.5 crores and up to rupees five crores in the preceding financial year	February, 2020 and March, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the29th day of June, 2020
		April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the30th day of June, 2020
3.	Taxpayers having an aggregate turnover of up to rupees 1.5 crores in the preceding financial year	February, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the30th day of June, 2020
		March, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the3rd day of July, 2020
		April, 2020	If return in **FORM GSTR-3B** is furnished on or before the6th day of July, 2020.”.

2. This notification shall be deemed to be effective from the 20th day of March, 2020.

[File.NoVaKar / GST /01/2020]
By the order of the Governor of Jharkhand,

Vandana Dadel,
Secretary, Commercial taxes Department

Note: The principal notification No.76/2018- State Tax, dated 24th January, 2019 was published in the Gazette of Jharkhand, Extraordinary; vide S.O. No. 18, dated the 24th January, 2019.

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना सं. 32/2020 - राज्य कर

एस. ओ. सं. 48, दिनांक- 25 जून, 2020 :- झारखंड सरकार, झारखंड माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 128 के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, झारखंड सरकार, वाणिज्य-कर विभाग की अधिसूचना सं॰ 76/2018-राज्य कर, दिनांक 24 जनवरी 2019, जिसे एस. ओ. सं. 18, दिनांक 24 जनवरी 2019 के तहत झारखंड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना के दूसरे परंतुक के बाद निम्नलिखित प्रन्तुक अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात:-

"परंतु यह भी कि उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए है, और जो नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं करते है लेकिन स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लेखित शर्त के अधीन उक्त विवरणी प्रस्तुत करते है, उक्त अधिनियम की धारा 47 के प्रावधानों के अधीनदेयविलंब फीस को उस कर अवधि के लिए अधित्यक्त हो जाएगी, जो स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट, निम्नलिखित कर अवधि है,--,

तालिका

क्र॰सं॰ (1)	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	कर अवधि (3)	शर्त (4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर-3ख में विवरणी 24 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये से अधिक हो लेकिन 5 करोड़ रुपये तक हो	फरवरी, 2020 और मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3-ख में विवरणी 29 जून, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3-ख में विवरणी 30 जून,2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है

3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 1.5 करोड़ रुपये तक हो	फरवरी, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3-ख में विवरणी 30 जून,2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		मार्च, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर- 3ख में विवरणी 3 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है
		अप्रैल, 2020	यदि प्ररूप जीएसटीआर3-ख में विवरणी 6 जुलाई, 2020 या उससे पहले प्रस्तुत की जाती है।"।

2. इस अधिसूचना को 20 मार्च 2020 से लागू माना जाएगा ।

[सं.सं.वा०कर/जी०एस०टी/01/2020]

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

वंदना दादेल,

सचिव, वाणिज्य-कर विभाग

नोट : मूल अधिसूचना सं॰ 76/2018-राज्य कर, दिनांक 24 जनवरी 2019, जो एस. ओ. सं. 18, दिनांक 24 जनवरी 2019 के तहत झारखंड के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किया गया था।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 300 -- 50